न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 65/2024
GCMS No. 2024/257

1. हरिशचन्द्र पुत्र कन्हैयालाल निवासी कालेरा का बास (जैतपुरा) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. रामस्वरूपपुत्र कन्हैयालाल निवासी कालेरा का बास (जैतपुरा) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. सुमेरपुत्र कन्हैयालाल निवासी कालेरा का बास (जैतपुरा) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मुन्नीदेवी पत्नी गोकल निवासी लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. विजेन्द्र पुत्र गोकल निवासी लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. विद्याधर पुत्र गोकल निवासी लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. द्वारका पुत्र माला निवासी लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. मंगला पुत्र माला निवासी लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. मदन पुत्र माला निवासी लुणा तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
7. परमेश्वरी पुत्री मगाराम निवासी कालेरा का बास (जैतपुरा) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
8. रामसिंह पुत्र भागीरथ निवासी कालेरा का बास (जैतपुरा) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
9. विकास पुत्र भागीरथ निवासी कालेरा का बास (जैतपुरा) तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
11. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी जरिये शाखा प्रबन्धक।
12. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चुड़ेला जरिये शाखा प्रबन्धक।
13. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी –श्री विनोद कुमार गिल
वकील अप्रार्थी संख्या 1, 3 से 6, 8 से 9–श्री हरिशचन्द्र व अजय

निर्णय

दिनांक 24.06.2025

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगणकी सहखातेदारी की भूमि खेत ख0न0 463/574 रकबा 0.77 है0 सरहद मौजा ग्राम लुणा तहसील मलसीसर में स्थित है। आवेदकगण के खेत की सीमा से सटकर अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 का खेत ख0न0 465 रकबा 2.08 है0 स्थित है तथा ख0न0 464 रकबा 1.56 है0 अप्रार्थीगण संख्या 7 लगायत 9 की सह खातेदारी की भूमि है। ग्राम लुणा से एक कटानी रास्ता ख0न0 465 के बीचों बीच आगे झुन्झुनू राजगढ़ को क्रोस करते हुये सोनासर जाता है। आवेदकगण लुणा से झुन्झुनू राजगढ़ जाने वाली सड़क तक

जाने वाले कटानी रास्ते से नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए से बी से होते हुये अपने खेत में आते जाते रहे है। इसके अलावा प्रार्थीगण के खेत में पहुंचने के लिए एक अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया है जिसके कारण प्रार्थीगण अपने खेत में पड़ी फसल को निकलवाकर भी नहीं ले जा सकते है। इसलिये प्रार्थीगण को उक्त रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को अपनी भूमि खेत ख0न0 463 / 574 में आने–जाने के लिये खेत ख0न0 465 में से होता हुआ लुणा से झुन्झुनू राजगढ़ जाने वाली सड़क तक जाने वाले कटानी रास्ते से अनावेदकगण के खेत ख0न0 464 में से सलंग्न नजरी नक्शें में दर्शित मार्क ए से बी बिन्दु तक या क से ख तक 12 फुट रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 1, 3 व 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि आवेदकगण के खेत के लिए पहले से चालु व सुविधाजनक रास्ता मौजुद है। मौजुदा प्रकरण में धारा 251क के प्रावधान लागु नहीं होते। ख0न0 463 / 574 वाके ग्राम लुणा में आने जाने के लिए लुणा से ख0न0 298 व ख0न0 463 में से रास्ता मौके पर मौजुद है। इस कारण आवेदकगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजुद है नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।अनावेदक संख्या 1, 5, 6, 8 व 9 की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया।

अनावेदकगण संख्या 2, 7 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 2, 7की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने परएकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर के पत्र क्रमांक 275 दिनांक 24.02.2025 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी उक्त रिपोर्ट में आवेदक के नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दु ए से बी की दुरी 36 मीटर बताई है जबकि ख0न0 465 के पश्चिम दिशा में अपनी मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शे में बिन्दु प से फ के मध्य 28 मीटर दूरी होना बताया है जो सबसे नजदीक है। इसके अतिरिक्त ख0न0 463 / 574 में रास्ता दर्ज नहीं होना बताया है। ख0न0 298, 461, 303 / 566, 459 में मौके पर रास्ता आज दिनांक चालू है परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदक के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अथवा नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार जो भी न्यायालय उचित समझे लघुतम रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि लुणा से ख0न0 298 व ख0न0 463 में से रास्ता मौके पर मौजुद है। आवेदकगण के खेत के लिए पहले से चालु व सुविधाजनक रास्ता मौजुद है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो

तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 463/574 में आने जाने हेतु ख0न0 465 में मौके पर चालु कटानी रास्ते से नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक को ख0न0 465 की पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे होकर मौका रिपोर्ट में बिन्दु प से फ दर्शाया गया लघूतम रास्ता जिसकी लम्बाई 28 मीटर है, दिया जा सकता है। वकील पक्षकारान के निवेदन पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वयं मौका देखा गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सुझाये अन्य मार्ग का भी मौका देखा गया। मौका जांच के दौरान पाय गया कि तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट दिनांक 24.02.2025 में नजरी नक्शे में दर्शाया गया डीईएफ रास्ता बिन्दु एफ पर जाकर बंद हो जाता है। बिन्दु एफ से प्रार्थी के खेत ख0न0 463/574 तक रास्ते की दूरी बहुत अधिक है जबकि दुसरी तरफ बिन्दु प से फ तक की दूरी लघुतम है इसलिये मौका जांच के दौरान भी तहसीलदार मलसीसर द्वारा प्रस्तावित रास्ता लघुतम पाया गया। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण को खेत खसरा नम्बर 463/574 में आने–जाने के लिये ख0न0 465 में दर्ज कटानी रास्ते से ख0न0 465 के पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट में अंकित बिन्दु प से फ तक लघूतम रास्ता 12 फुट चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 465 में से रास्ते में आने वालीभूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदकगण से वसूल कर ख0न0 465के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर